

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 79 /2014

New Delhi, dated: 22.07.2014

No. 2011/E (LL)/FA/1

The General Managers,
All Zonal Railways/Production Units, RDSO, CORE, Metro Railway,
The Director General, RDSO, Lucknow
The Director General, National Academy of Indian Railway, Vadodara.
The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur,
IRISET, Secunderabad, JRRPF Academy, Lucknow. IRITTM, Lucknow.
The Chairman, RRBs, Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal,
Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, Gorakhpur,
Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad
and Thiruvananthapuram
The Pay & Accounts Officer, Railway Board.

Sub: Enhancement in the rate of Festival Advance as a result of
increase in DA w.e.f. 01.01.2014


Please refer to Board's letter of even number dated 18.07.2011,
conveying enhancement in the rate of Festival Advance by 25% on increase
of Dearness Allowance to 51%.

2. Railway Board vide letter No. PC.VI/2008/1/7/2/1 dated 28.03.2014 has enhanced the DA payable to railway employees from the existing rate of 90% to 100% w.e.f. 01.01.2014.
3. Consequent upon aforesaid enhancement of DA to 100%, the matter regarding revision in the rate of Festival Advance has been considered by the Board and decided that the rate of festival advance shall increase by 25% w.e.f. 01.01.2014.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
5. There is no change in the other terms and conditions for grant of festival advance.

Please acknowledge receipt.

(Madan Lal)
Director Estt. (LL)

Contd...page..2



B
31/7

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आरबीई सं. 79/2014

सं. 2011/ई(एलएल)/एफए/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.2014

महा प्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, अ.अ.मा.सं., कोर, मेट्रो रेलवे,

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ

महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा

निदेशक, इरिसेन/पुणे, इरीन/नासिक रोड, इरिमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकन्दराबाद, जेआरआरपीएफ
एकैडमी/लखनऊ, इरिटिम/लखनऊ।

अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, अजमेर, अहमदाबाद, इलहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै,
कलकत्ता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और
तिरुवनंतपुरम

वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

विषय: 01.01.2014 से महंगाई भत्ता में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप त्योंहार अग्रिम की दर में वृद्धि।

कृपया दिनांक 18.07.2011 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसमें महंगाई भत्ता बढ़कर 51% होने पर त्योंहार अग्रिम की दर में 25% वृद्धि की गई थी।

2. रेलवे बोर्ड ने दिनांक 28.03.2014 के पत्र सं. पीसी.VI/2008/1/7/2/1 के तहत 01.01.2014 से रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 90% की मौजूदा की दर से बढ़ाकर 100% कर दिया है।
3. महंगाई भत्ता में 100% की उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप, त्योंहार अग्रिम की दर में वृद्धि करने से संबंधित मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया कि त्योंहार अग्रिम की दर में 01.01.2014 से 25% वृद्धि की जाएगी।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
5. त्योंहार अग्रिम देने से संबंधित अन्य निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
6. कृपया पावती दें।

मदन लाल
(मदन लाल)

निदेशक स्था.(एलएल)